

NOTE FOR JUSTIFICATION

परियोजना का नाम :-

जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत रारो मार्ग सं 121 स्थित ढंकरीखाल तोक से कसाणा बिचला होते हुये चौकीखाल तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।

उपरोक्त विषयक सम्बन्धित कार्य की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति शारों सं 4842 / (1)/III (2)/II-30(M.L.A.)/2011 दिनांक 10.10.2011 के द्वारा 2.000 किमी 10 हेतु ₹ 25.20 लाख की प्राप्त हुई है। (शासनादेश की छाया प्रति संलग्न है) यह मार्ग मोटर मार्ग रारो मार्ग सं 121 स्थित ढंकरीखाल तोक के किमी 10 99.000 से आरम्भ होकर कसाणा बिचला होते हुये चौकीखाल तक 1. कसाणा पल्ला व 2. कसाणा बिचला गाँवों को जोड़ेगा। उक्त ग्रामों की आबादी कमशः 326 व 217 है। इस प्रकार इस मोटर मार्ग के निर्माण से कुल 543 जनसंख्या लाभान्वित होगी जो कि अभी तक किसी भी मोटर मार्ग से नहीं जुड़ी है। इस मार्ग के निर्माण से ग्रामवासियों को यातायात की सुविधा होगी। वर्तमान में गांव की महिलायें पानी, लकड़ी, चारा आदि लेने के लिए दूर जाती हैं, मार्ग निर्माण के पश्चात उनका बहुमूल्य समय बचेगा साथ ही वे अपने घर व पाल्यों को अधिक समय दे पायेंगे, जिससे की पाल्यों का लालन पालन तथा पठन पठान ठीक से होगा तथा कुपोषण जैसी भारी समस्या दूर हो जायेगी। गांव में चिकित्सालय तथा विद्यालय खुलने के और नये अवसर मिलेंगे। ग्रामवासियों द्वारा अपने उत्पादित फल, सब्जी, अनाज आदि को बजार तक बिना किसी कठिनाई के ले जा पाएंगे साथ ही गांव विकास की ओर अग्रसर होगा एवं स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे।

यह समरेखण वन पंचायत भूमि, सिविल भूमि (राज्य भूमि) तथा नापभूमि से होकर गुजरता है, अन्य किसी श्रेणी की भूमि प्रभावित नहीं होती है। समरेखण के अन्तर्गत कोई मकान, मस्जिद, कब्रिस्तान का भाग नहीं पड़ता है।

इस मार्ग के समरेखण में नापभूमि 0.720 है, सिविल सोयम भूमि 0.180 है, आरक्षित वन भूमि शून्य है एवं वन पंचायत भूमि 0.900 है प्रभावित हो रही है जो न्यूनतम एवं अपरिहार्य है, वनभूमि हस्तानात्तरित करने हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्राविधानों के अन्तर्गत यह प्रस्ताव गठित कर प्रेशित किया जा रहा है।

विस्तृत सर्वेक्षण उपरान्त इस मार्ग के निर्माण हेतु 2 समरेखणों पर विचार किया गया है जिन्हें प्रस्ताव में संलग्न इन्डैक्स मानचित्र में अलग-अलग रंग से दर्शाया गया है।

उक्त को ध्यान में रखते हुए समरेखण नं 02 को निरस्त कर समरेखण नं 01 को अनुमोदित किया जाता है।


कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
बैजरो (गढ़वाल)


सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
बैजरो (गढ़वाल)


अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
बैजरो (गढ़वाल)